न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –13/2020 (अपील)

GCMS No. 2020/00159

रमेशचन्द्र खण्डेलवाल आत्मज श्री दीनदयाल जाति महाजन निवासी इन्द्रा मार्केट कोटा, जिला कोटा (राज.)

--प्रार्थी

बनाम

सरकार जर्ये रसद अधिकारी, कोटा

–अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 प्रकरण संख्या 32/2019 आदेश दिनांक 30.6.2020

निर्णय

उपस्थितः–

1. **श्री वी.के. राठौड़, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक**

दिनांक– 22.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश विभागीय प्रकरण संख्या 32/2019 दिनांक 30.06.2020 से अपीलांट श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल, उचित मूल्य दुकानदार, प्राधिकार पत्र संख्या 91/1980 गणेशपुरा, कोटा का लाईसेंस निरस्त किया गया है ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.09.2020 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि, न्याय, कानून के प्रावधान एवं आदेश 1976 के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार की शर्त संख्या 11,14,15,17 (ख)(ग) एवं 18 का उल्लंघन मानते हुये प्रार्थी के प्राधिकार पत्र. को निरस्त किया गया है । प्रार्थी के द्वारा प्राधिकार पत्र की कोई शर्त की अवहेलना नहीं की गई , खण्ड 8 में यह तथ्य वर्णित है कि प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त, निलम्बित करने के लिये प्रार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, किन्तु रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, उक्त खण्ड 8 में यह तथ्य भी वर्णित है कि निलंबन का आदेश 90 दिवस से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने 90 दिवस से अधिक समय के पश्चात अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को निरस्त करने में कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अवहेलना की गई है जो कि आज्ञापक प्रावधान है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.6.2019 में 50 राशन कार्डो पर 5070 किलोग्राम गेहूँ, 68 किलोग्राम चीनी एवं 71 लीटर केरोसीन की अनियमितता किये जाने के आधार पर प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त कारण बताओ नोटिस में 50 राशन कार्डो का कोई विवरण नहीं दिया गया, ऐसी परिस्थिति में अपूर्ण तथ्यों के आधार पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, और इसी आधार पर बिना रिकार्ड उपलब्ध करवाये अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 31.7.2019 को निरस्त कर दिया गया जो कि पूर्णरूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व पुलिस थाना आर.के.पुरम कोटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 332/2019 अन्तर्गत धरा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कराई गई और उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में 122 परिवारों के दौहरे व तिहरे राशन कार्ड के आधार पर दर्ज करवाई गई, जबकि राशन कार्ड बनाने का कार्य रेस्पोडेन्ट का है और इसी कारण उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 26.7.2019 से आज तक किसी भी प्रकार की कोई अनुसंधान नहीं हुआ और ना ही अपीलान्ट को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया, उक्त अनुसंधान लम्बित है लेकिन उसके पश्चात भी अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट के कारण बताओ नोटिस एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधाभाष है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपरिपक्व है और अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार का कोई स्पीकिंग ऑर्डर पारित नहीं किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र के आधार पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जावें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । राजकीय अभिभाषक व वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि, न्याय, कानून के प्रावधान एवं आदेश 1976 के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार की शर्त संख्या 11,14,15,17 (ख)(ग) एवं 18 का उल्लंघन मानते हुये प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है । प्रार्थी के द्वारा प्राधिकार पत्र की कोई शर्त की अवहेलना नहीं की गई , खण्ड 8 में यह तथ्य वर्णित है कि प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त, निलम्बित करने के लिये प्रार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, किन्तु रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, उक्त खण्ड 8 में यह तथ्य भी वर्णित है कि निलंबन का आदेश 90 दिवस से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने 90 दिवस से अधिक समय के पश्चात अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को निरस्त करने में कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अवहेलना की गई है जो कि आज्ञापक प्रावधान है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.6.2019 में 50 राशन कार्डो पर 5070 किलोग्राम गेहूँ, 68 किलोग्राम चीनी एवं 71 लीटर केरोसीन की अनियमितता किये जाने के आधार पर प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त कारण बताओ नोटिस में 50 राशन कार्डो का कोई विवरण नहीं दिया गया, राशन कार्ड रेस्पोडेन्ट के द्वारा बनाए जाते है, यदि फर्जी राशन कार्ड बनाए गये है तो इसमें अपीलान्ट का कोई

जिला कलेक्टर
कोटा

दोष नहीं है । अतःअधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र के आधार पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जावें ।

5. पेरोकार रसद राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 4908 गणेशपुरा, कोटा को कार्यालय स्तर पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 91/1980 जारी है । आम आदमी पार्टी के वार्ड पार्षद श्री मोहम्मद हुसैन एवं कार्यकर्ता श्री हेमराज महावर व अन्य द्वारा सरकारी एवं रिटायर्ड कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों तथा डुप्लीकेट व बोगस राशनकार्डो का बाईपास करवाकर गलत तरीके से रसद सामग्री उठाकर अनियमितता करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा को एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था उक्त परिवाद की जांच हेतु श्रीमति सन्ध्या सिन्हा, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशन में सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायकों को नियुक्त कर जांच रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कोटा जिले के 38 उचित मूल्य दुकानदारों को राशन सामग्री के दुरूपयोग / अनियमितता किये जाने का दोषी पाया गया । जिसमें श्री रमेशचन्द खण्डेलवाल, उचित मूल्य दुकानदान पोस 4908 गणेशपुरा कोटा द्वारा 5070 किग्रा गेहूँ 68 किग्रा0 चीनी एवं 71 लीटर केरोसीन के दुरूपयोग / अनियमितता का दोषी पाया गया । राशन सामग्री के दुरूपयोग / अनियमितता पाये जाने के कारण कार्यालय के आदेश क्रमांक/ रसद/ अभ्योजन/2019/563 दिनांक 18.7.2019 द्वारा श्री रमेशचन्द खण्डेलवाल, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 4908 गणेशपुरा कोटा का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था । राशन सामग्री के दुरूपयोग / अनियमितता पाये जाने के कारण कार्यालय के पत्र क्रमांक/रसद/अभियोजन/2019/552 दिनांक 18.7.2019 द्वारा श्री जयराम गुर्जर तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय हाजा को श्री रमेशचन्द खण्डेलवाल उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 4908 गणेशपुरा कोटा सहित 11 उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था । इस पर अपीलांट के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 332 दर्ज कराई गई । श्रीमति सन्ध्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय के आदेश क्रमांक/रसद/अभ्योजन/2019/805 दिनांक 31.7.2019 द्वारा श्री रमेशचन्द खण्डेलवाल, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 4908 गणेशपुरा कोटा की उचित मूल्य दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था श्री बाबूलाल उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 17324 विनोबाभावे नगर कोटा के साथ की गई थी । श्री रमेशचन्द खण्डेलवाल को दिये गये कारण बताओ नोटिस का उनके द्वारा दिया गया जवाब सन्तोषप्रद नहीं होने से विभागीय प्रकरण में कई अवसर प्रदान करने के बावजूद भी कार्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.6.2020 को निर्णय पारित कर प्राधिकार पत्र संख्या 91/1980 को निरस्त कर दिया गया था ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा

जिला कलेक्टर
कोटा